

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2019/123

दिनांक : 14/02/2019

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जोधपुर/झुन्झुनू/जयपुर/चित्तौड़गढ़/झालावाड़।

**विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को दिशिखानु
(इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।**

----- :: ----- :: -----

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक: प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को दिशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क्र सं.	CMHO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	डॉ० चेतना शर्मा पुत्री श्री मुकुट बिहारी शर्मा	निवासी- 41, अग्रसेन विहार कॉलोनी, जिला झालावाड़
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़	डॉ० दीपिका स्वर्णकार पुत्री श्री भीम राज स्वर्णकार	निवासी-एच-2-बी-26, अणु छाया कॉलोनी, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय	डॉ० मधु कुमारी धाकड़ पुत्री श्री बनैसिंह धाकड़	निवासी-धाकड़ कॉलोनी, मण्डावरा फाटक हिण्डौनसिटी जिला करौली
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	डॉ० मोना अग्रवाल पुत्री श्री रमेश गुप्ता	निवासी-वार्ड न 16, हॉस्पिटल रोड, सिंघाना जिला झुन्झुनू
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० नैना विश्नोई पुत्री श्री धेवर राम विश्नोई	निवासी-ग्रा.पोस्ट सरेंचा तहसील लूणी जिला जोधपुर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2019/123

दिनांक : 14/02/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. संबंधित छात्र/छात्रा को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।